

## लोकतंत्र में आधी आबादी की भूमिका अहम



### ♦ प्रतिदिन निकालें मतदाता जागरूकता रैली

लोकतंत्र में उनकी भूमिका अहम है। बताया कि नाम जोड़वाने के लिए प्रारूप-6 पर आवेदन कर अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करा सकते हैं। निर्वाचक नामावली में मृतक / शिफटेड / डुप्लीकेट एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाने के लिए प्रारूप-7 पर दावे प्रस्तुत किए जाएंगे। कहा कि निर्वाचक नामावलियों में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध करने व डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए प्रारूप-8 पर आवेदन किया जाना है। एक ही विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थान परिवर्तन के लिए प्रारूप-8 क पर आवेदन किया जाएगा। बूथों पर नियुक्त वृथ लेवल अधिकारियों के पास प्रारूप-6, 7, 8 एवं 8 क उपलब्ध है। कहा कि 31 अक्टूबर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए निर्धारित है। उन्होंने जेण्डर रेंसियो को सही करने के लिए ऐसी महिलाएं जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत नहीं है, नाम छूट गया है उनके फार्म भरवाये जाने में सहभागिता करने पर जोर दिया। इस अवसर पर तहसीलदार गुलाब चन्द्रा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

महिला मतदाता पंजीकरण मेला को संबोधित करते डीएम।

चंदौली: जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार प्रशांत ने कहा कि 31 अक्टूबर तक प्रतिदिन मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक महिला नागरिकों को मतदाता बनाया जा सके।

श्री प्रशांत सोमवार को महेंद्र टेक्निकल

इण्टर कालेज परिसर में आयोजित महिला मतदाता पंजीकरण मेला को संबोधित कर रहे थे। महिलाओं का आह्वान किया कि वे स्वयं के साथ दूसरों को भी मतदाता बनने के प्रति प्रेरित करें। आधी आबादी का यह दायित्व बनता है कि वे लोकतंत्र की मजबूती में अपना योगदान करें।

## लोकतंत्र में भागीदारी को दिलाई शपथ

चंदौली: डीएम कुमार प्रशांत के निर्देश पर तहसीलदार गुलाब चंद्रा द्वारा सोमवार को मां भवानी पीजी कालेज सोगाई में महिला मतदाता जागरूकता के लिए विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय के 250 छात्र-छात्राएं संगोष्ठी में भाग लिया। संगोष्ठी में विशेष तौर पर महिला मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष तौर पर बताया गया। वहीं छात्र-छात्राओं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, उन सभी का नाम दर्ज किए जाने के लिए फार्म संख्या 6 दिया गया। महिलाओं को लोकतंत्र में भागीदारी को नाम दर्ज कराने के लिए शपथ दिलाया गया। संगोष्ठी में छात्र-छात्राओं को महिला पुरुष अनुपात एवं 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं को विशेष रूप से नाम जोड़ पर बल दिया गया। सदर तहसीलदार गुलाब चंद्रा ने बताया कि इस प्रकार की संगोष्ठियां अन्य डिग्री कालेजों में भी आयोजित की जाएगी। जैसा की भारत सरकार निर्वाचन आयोग का निर्देश है। नायब तहसीलदार बृजेश कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक डा. राजेंद्र उपाध्याय, प्रबंधक परशुराम यादव, रामअवतार यादव, कानूनगो शिवशंकर पाठक, राजस्व निरीक्षक धर्मेन्द्र मोर्य, लेखपाल चंदन हर्ष आदि रहे।